रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 1987/आषाढ 19, 1909
No. 40] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 1987/ASADHA 19, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1987

अधिसूचना

आ. अ. 71 (अ) :—भारत निर्वाचन आयोग ने, *लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के अधीन जारी की गई तारीख 18 मई, 1987 की अपनी अधिसूचना सं. 100/हरि.-लो. स./1/86(1) द्वारा 8-भिवानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन के लिए निर्वाचित सदस्य श्री बंसी लाल के त्यागपत्र द्वारा हुई रिक्ति को भरने के लिए तारीख 20 जून, 1987 (शनिवार) को उस तारीख के रूप में नियत किया जिससे पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा ;

और निर्वाचन आयोग ने तारीख 20 जून, 1987 की अपनी अधिसूचना सं. 100/हरि.-लो. स./1/86 द्वारा 10 जुलाई, 1987 को उस तारीख के रूप में नियत किया जिससे पूर्व 8-भिवानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन समाप्त कर दिया जायेगा ;

और उक्त 8-भिवानी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा द्वारा बनाए गए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के भिवानी सभा खण्ड के 70 मतदान केन्द्रों में पुनः मतदान होने के कारण उक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में मतों की गणना 10 जुलाई, 1987 से पूर्व समाप्त नहीं की जा सकती ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 और धारा 153 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस सम्बन्ध में उसे प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उपर्युक्त वर्णित तारीख 18 मई, 1987 की अपनी अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा :—

"(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जायेगा 31 जुलाई, 1987 (शुक्रवार)"

[सं. 100/हरि.-लो. स./1/86]

आदेश से,

आर. पी. भल्ला, सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 10th July, 1987

NOTIFICATION

O.N. 71(E).—Whereas the Election Commission by its notification No. 100/HN-HP/1/86(i) dated the 18th May, 1987, issued under section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), appointed 20th June, 1987 (Saturday), as the date before which the election to fill the vacancy in the House of the People from 8-Bhiwani Parliamentary Constituency cause by the resignation of Shri Bansi Lal, a member elected to that House from the said 8-Bhiwani Parliamentary Constituency in the State of Haryana shall be completed ;

And whereas, the Election Commission had by its notification No. 100/HN-HP/1/86 dated 20th June, 1987 appointed 10th July, 1987 as the date before which the election shall be completed in 8-Bhiwani Parliamentary Constituency;

And whereas, after taking into account all material facts and circumstances as reported by the Returning Officer for the said 8-Bhiwani Parliamentary Constituency and the Chief Electoral Officer, Haryana, the Election Commission is satisfied that the counting of votes in the said Parliamentary Constituency cannot be completed before the 10th July, 1987 on account of repoll in 70 polling stations in Bhiwani assembly segment of the said Parliamentary Constituency,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 and section 153 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and all other powers enabling it in this behalf, Election Commission hereby makes the following amendments in its aforementioned notification, dated the 18th May, 1987 namely :—

In the said notification, for the existing clause (e) the following clause shall be substituted :—

"(e) 31st July, 1987 (Friday) as the date before which the election shall be completed".

[No. 100/HN-HP/1/86]

R. P. BHALLA, Secy.
Election Commission of India

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987